न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 44 / 2024
निर्णय दिनांक : 12.04.2024

1. अवधेश डंगायच पुत्र कैलाश चन्द डंगायच जाति महाजन, निवासी 215, मुकन्तानन्द नगर गोपालपुरा बाईपास, जयपुर

2– उमेश कुमार शर्मा पुत्र रामनिवास, जाति ब्राहम्ण, निवासी 52, लक्ष्मीनगर, टोंक रोड़, जयपुर

3– राकेश अग्रवाल पुत्र घनश्याल अग्रवाल जाति महाजन, निवासी 19, सुधासागर कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1– प्रहलाद कुमार पुत्र झुंथाराम जाति माली निवासी 59, अम्बिका कॉलोनी, गोगिया पेट्रोल पम्प के पीछे, थाना सांगानेर, जिला जयपुर

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 191 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.2600 हेक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हेक्टेयर वाके ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू–अभि. नि. शिकारपुरा, तहसील सॉंगानेर जिला जयपुर स्थित जिसके खातेदार प्रार्थीगण है। दिनांक 10–5–2023 को श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सांगानेर जिला जयपुर के आदेश क्रमांक भू.अ. /सीमाज्ञान/2023/3532 दिनांक 5–5–2023 की पालनार्थ में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 191 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.2600 हेक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हेक्टेयर वाके ग्राम सूरजपुरा, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू–अभि.नि. शिकारपुरा, तहसील सॉंगानेर जिला जयपुर की सीमाज्ञान की गई और प्रार्थीगण की सीमाओं को जरिये मुस्तकिल चिन्हो के द्वारा सीमाकंन किया गया। लेकिन प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौसी खातेदार काश्तकार द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि में जबरन मजाहमत करने के कारण तथा प्रार्थीगण की अपनी सीमाओं

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:35:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सॉंगानेर)

को महदूद करने की गुरेज से पत्थरगढी करवाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है इसलिए प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की नियमानुसार पत्थरगढ़ी किया जाना नितान्त आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि के पडौसी खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 724/190 व 719/188 का खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 191 के लगवा खसरा नम्बर 724/190 स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की सुरक्षा वास्ते एवं पडौसी खातेदारो से लडाई झगडे से निजात पाने के लिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाकर उक्त भूमि की सुरक्षा हेतु तारबंधी करवाना चाहते है इसलिए प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 सख्या बल में ज्यादा है और मौके पर पत्थरगढी नहीं होने देने की संभावना व मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पत्थरगढी की कार्यवाही जरिये पुलिस ईमदाद करवाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 191 रकबा 0. 1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.2600 हेक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हेक्टेयर वाके ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू–अभि.नि. शिकारपुरा, तहसील साँगानेर जिला जयपुर की पत्थरगढी जरिये पुलिस ईमदाद से किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित।

पत्रावली में बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी भूमि ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू–अभि.नि. शिकारपुरा, तहसील साँगानेर जिला जयपुर में स्थ्ज्ञित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 191 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.2600 हेक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हेक्टेयर की पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान किया जावे।

बहस वादी अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वी[illegible] जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया ज[illegible] न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने [illegible] प्रार्थीगण की वाके ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू–अभि.[illegible] शिकारपुरा, तहसील साँगानेर जिला जयपुर में स्थ्ज्ञित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 191

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:35:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.2600 हेक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हेक्टेयरकी प्राथीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 को सूचित कर, सभी की उपस्थिति में नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 10.05.2023 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह्न कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.07.23 10:35:46 IST
Reason: SelfAttested